अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंध

अधिकार एवम् कर्तव्यों में अटूट सम्बन्ध है। कर्तव्य एवम् अधिकार एक दूसरे के पूरक है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पल्लू है। दोनों एक दूसरे के बिना मूल्यहीन है। कर्तव्य एवम् अधिकार दोनों एक साथ चलते है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। यह ~~अन्य~~ अन्योन्याश्रित हैं।

मनुष्य की सामाजिकता में ही अधिकारों और कर्तव्यों की पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। प्रसिद्ध विद्वान लिप्सन के अनुसार यही पारस्परिकता सामाजिक जीवन का आधार है। व्यक्ति जो देता है, वह लेता भी है और वह जो लेता है, देता भी है। अतः सामाजिक विन्यास में अधिकारों और कर्तव्यों का ताना बाना निहित है। अधिकारों के साथ-साथ उनके सहवर्ती कर्तव्य एवं दायित्व भी जुड़े होते है।

इन दोनों में दो प्रकार के सम्बन्ध दिखाई देते है। पहला यह कि प्रत्येक समाज पारस्परिकता के सिद्धान्त पर ही क्रियाशील हो सकता है। समाज व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करें और व्यक्ति समाज के अधिकारों का सम्मान करें। एक पक्ष दूसरे पक्ष के बिना अस्तित्व में बना नहीं रह सकता है। अधिकारभोगी व कर्तव्यपालन समाज विपरीत से ही जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का बराबरी से उपभोग कर

Scanned by CamScanner

इसके इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार करें।

दूसरा यदि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कुछ अधिकार है तो निश्चित रूप से कुछ उत्तरदायित्व भी अवश्य है। समाज या सार्वजनिक हित में हम इन दायित्वों का पालन सुनिश्चित करते है। राज्य अधिकार के रूप में इन्हीं स्थितियों का सृजन करता है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, इनमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपना, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इनका सर्वोत्तम उपयोग कर समूहित अथवा सार्वजनिक हित में अपना योगदान दे। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दूसरे के अधिकारों को उचित सम्मान प्रदान करना चाहिए।

प्रख्यात चिंतक 'ग्रे' ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है। इनके अनुसार कर्तव्य व अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

वाइल्ड के अनुसार "अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है।" एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य रूप में रहता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्य का किस सीमा तक पालन करते है

प्रो. लास्की अधिकार व कर्तव्यों के मध्य सम्बन्धों की व्याख्या इस रूप में करते है कि "मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य है।" वे उदाहरण देते हुए कहते है कि जैसे मतदान मेरा अधिकार है वैसे ही इसका प्रयोग करना मेरा कर्तव्य है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य है।

Scanned by CamScanner

जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सभी इसी पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों का प्रयोग समाज कल्याण हेतु करना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। लास्की कहते हैं कि "राज्य मेरे अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए मैं भी राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँ।" चूँकि राज्य मेरे अधिकारों की व्यवस्था तथा रक्षा करता है इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं राज्य की सहायता करूँ।"

अधिकार दिए जाने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा सामूहिक रूप से पूरे समाज की उन्नति मानी जाती है। और इसी कारण व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसके कर्तव्य भी निश्चित करता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग अपने हित के साथ ही सामाजिक हित में भी करें।

यदि व्यक्ति केवल अपने ही अधिकारों का ध्यान रखेगा तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो किसी के भी अधिकार नहीं बचेंगे।

हॉब हाउस के अनुसार " अधिकार वे हैं जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं और सभी विशुद्ध अधिकार सामाजिक हित की शर्तें हैं। अतः अधिकार जिसका कि कोई व्यक्ति दावा करता है आंशिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के विवेकशील मानव बनने के लिए आवश्यक है और आंशिक रूप से समाज जिन कृत्यों की पूर्ति की अपेक्षा करता है, अधिकार उनकी आवश्यक शर्तें हैं। अधिकार व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्व से प्रतिबंधित होते हैं तथा सामाजिक दायित्वों से सह-संबंधित होते हैं।"

Scanned by CamScanner

महात्मा गांधीजी ने भी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया है। गांधीजी के अनुसार कर्तव्य पालन में अधिकारों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। गांधीजी के शब्दों में " जो कर्तव्य का पालन करता है, अधिकार उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार ही केवल एक ऐसा अधिकार है जो मृत्यु और जीवित रहने योग्य है।"

इस प्रकार पारस्परिकता के बंधन में बंधे ये कर्तव्य अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। कर्तव्य अधिकारों को और भी परिपूर्ण व समृद्ध करते हैं। जिस राज्य में नागरिक कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं, उसका अस्तित्व ज्यादा समय तक विद्यमान नहीं रह पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए।

Scanned by CamScanner